

कार्यालय सयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, पाली संभाग पाली

—:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती-2022 में चयनित अभ्यर्थियों को निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-मा./संस्था/ एफ-1/ 12102(200-A)/सी.भ./वरि.कम्प्यू.अनु./2022/ दिनांक 16.02.2023 के द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु पदस्थापन के लिए इस कार्यालय को आंशिक रूप से आंशिक अभ्यर्थियों को वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक (नॉन टीएसपी क्षेत्र) के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के वेतन लेवल-10 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय 23700/- (अक्षरे तेबीस हजार सात सौ मात्र) पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ12(9) एफडी(रूल्स)/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्तों यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे:-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कर्मियों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1) डीओपी/ए-1/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूमपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी बचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।
5. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
6. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व समस्त अभ्यर्थियों से 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में तत्काल नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।
7. परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षति पूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।



8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्राबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई कटौतियों की जावेगी।
9. परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
10. परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक आवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स) 2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
11. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व आवेदन पत्र में सलंगन दस्तावेजों का मूल प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों से जांच की जानी आवश्यक है।
12. सम्बन्धित संस्था प्रधान/पी.ई.ई.ओं. को निर्देशित किया जाता है कि यदि सम्बन्धित विद्यालय में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में कार्यग्रहण नहीं करावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापन स्थान पर **दिनांक 14-03-2023** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर सम्बन्धित संस्था प्रधान मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/ सूचनाएँ सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।

(पालाराम मेवता)
सयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा, पाली संभाग पाली
दिनांक :- 21-02-2023

क्रमांक: सनि/शिक्षा/पाली/संस्था-1/वरि.कम्प्यू.अनु./1314
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. सयुक्त शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
6. निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
7. शाखा अवधायक, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा पाली/जालोर/सिरोही को सम्बन्धित के मूल आवेदन पत्र सहित प्रेषित कर लेख है कि मूल आवेदन पत्र प्राप्त कर सम्बन्धित सीबीईईओं के माध्यम से विद्यालयों में भिजवाए जाने की व्यवस्था करें।
9. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त मण्डल पाली।
10. सम्बन्धित संस्था प्रधान/पी.ई.ई.ओ उमावि/मावि.....
11. सम्बन्धित आशार्थी।
12. रक्षक पंजिका।

सयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा, पाली संभाग पाली



कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

क्रमांक: सनि / शिक्षा / पाली / संस्था-1 / वरि.कम्प्यू.अनु. /1314

दिनांक :- 21.02.2023

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित बरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती-2022 में चयनित एवं पाली संभाग को आवंटित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश (नॉन टीएसपी क्षेत्र)

Sr. No.	PHOTO	MERIT NO.	NAME	FNAME	DOB	CATE	H_CATE	SEL_CATE	GENDER	Posting Place
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1		105	PRIYANKA SAIN	GIRDHARI LAL SAIN	16-12-1989	OBC		GEN	Female	AAI SUKHI BAI CHANDANMAL LODHA GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KHOD (221438) DIST. PALI
2		522	SOHINI	NARSINGH JI	08-10-1992	SC		SC	Female	SETH MUKANCHAND BALIYA GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL PALI (221485) DIST. PALI
3		127	LOKENDR A SINGH RATHORE	BANNE SINGH RATHORE	07-08-1991	GEN		GEN	Male	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SAYALA (213595) DIST. JALOR
4		188	DUSHYANT ARYA	JAGDISH PRASAD ARYA	02-03-1995	OBC		OBC	Male	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL JOJAWAR (221251) DIST. PALI
5		213	SHRAWAN RAM	POLA RAM	01-07-1990	OBC		OBC	Male	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL ROHAT (221202) DIST. PALI
6		216	RAJU RAM BAJYA	HARI RAM BAJAYA	01-06-1991	OBC		OBC	Male	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SHEOGANJ (213977) DIST. SIROHI
7		218	KAPIL SHARMA	RAJENDRA PRASAD SHARMA	30-06-1992	GEN-EWS		GEN-EWS	Male	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SARUPGANJ PINDWARA SIROHI (213845) DIST. SIROHI
8		223	GURDAS SINGH	HARMEET SINGH	19-06-1991	OBC		OBC	Male	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL REODAR (214028) DIST. SIROHI

RajKaj Ref No. : 3219158





कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

क्रमांक: सनि/शिक्षा/पाली/संस्था-1/वरि.कम्प्यू.अनु./1314

दिनांक :- 21.02.2023

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती-2022 में चयनित एवं पाली संभाग को आवंटित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश (नॉन टीएसपी क्षेत्र)

Sr. No.	PHOTO	MERIT NO.	NAME	FNAME	DOB	CATE	H_CATE	SEL_CATE	GENDER	Posting Place
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
9		585	PRAVIN	MUNNA LAL	04-05-1993	SC		SC	Male	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL HANUMANSHALA (221050) DIST. JALOR
10		727	RAJENDER KUMAR	GOPAL RAM	12-07-1993	SC		SC	Male	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NEAR MAIN BUS STOP JASWANTPURA (213755) DIST. JALOR

(पालाराम मेवता)
संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा पाली संभाग पाली

RajKaj Ref No. : 3219158

